न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2014 भोपाल R 3577- PBR/14

श्रीमती सरोज भदौरिया पत्नी दिलीप सिंह भदौरिया, निवासी- मकान नं. 253, ग्राम विजपुरी नं. 2, तहसील/जिला भिण्ड (म.प्र.)

..... निगरानीकर्ता

बनाम

1. विजय कुमार दास पुत्र नरेन्द्रदास, निवासी-हिन्दी मेल भवन, लिंक रोड क्रमांक 3, पत्रकार कॉलोनी के सामने, भोपाल
2. श्रीमती मायादास पत्नी विजय कुमार दास निवासी-हिन्दी मेल भवन, लिंक रोड क्रमांक 3, पत्रकार कॉलोनी के सामने, भोपाल
3. श्री युधिष्ठर भदौरिया पुत्र राजबहादुर सिंह भदौरिया, निवासी- मकान नं. 52, विनीत कुंज, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)
   वर्तमान निवासी- मकान नं. 253, ग्राम विजपुरी नं. 2, तहसील/जिला भिण्ड (म.प्र.)
4. म.प्र.शासन

..... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी हुजूर भोपाल के प्रकरण क्रमांक 49/अपील/2013-14 विजय कुमार बनाम श्रीमती सरोज आदि आदेश दिनांक 09-10-2014 को पारित।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग 3577–पीबीआर/14 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–11–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 9–10–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि व्यवहार न्यायालय में विक्रय पत्र को शून्य कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है, जबकि उनके समक्ष नामांतरण आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांतरण के संबंध में सुनवाई की जा रही है न कि विक्रय पत्र शून्य घोषित किये जाने के संबंध में । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत नामांतरण आदेश पारित किया गया है और अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है । क्योंकि	

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांतरण की वैधानिकता के संबंध में ही विचार किया जा रहा है और अपील अवधि बाह्य होने संबंधी बिन्दु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उठाने हेतु आवेदक स्वतंत्र है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष